



नशुल्क कानूनी सहायता

प्रलिस के ललल:

राष्ट्रीय कानूनी सेवा दलिस, नालसा ।

मेन्स के ललल:

नशुल्क कानूनी सहायता, संबंघतल संबैघानकल प्रावघान और कानून ।

चरचा में क्यों?

हाल ही में कानून एवं न्याय मंत्रालय ने लोकसभा को अखलि भारतीय कानूनी जागरूकता और आउटरीच अभयान के बारे में सूचतल कयल, जसल [राष्ट्रीय कानूनी सेवा दलिस \(NLSO\)](#) के अवसर पर अकतूबर 2021 में शुरू कयल गयल थल ।

सभी नागरकल के ललल उचतल, नषलपकष न्याय प्रकुरयल सुनशलचतल करने हेतु जागरूकता फैलाने के उददेश्य से प्रत्यूक वर्ष 9 नवंबर को [राष्ट्रीय कानूनी सेवा दलिस \(NLSO\)](#) मनायल जलतल है ।

राष्ट्रीय कानूनी सेवा दलिस (NLSO) और संबंघतल संबैघानकल प्रावघान:

■ परचलल:

- वर्ष 1995 में पहली बार NLSO को भारत के [सर्वोचच न्यायालय](#) द्वारा समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करने के ललल शुरू कयल गयल थल ।
- इसके तहत सवलल, अपाराधकल और राजसव न्यायालयों, न्यायाधकलरणों यल अरुध-न्यायकल कर्य करने वलले कसल अन्यू प्राधकलरण के समकष उपसुथतल मामलों में मुफत कानूनी सेवाएँ प्रदान की जलती हैं ।
- इस दलिस को देश के [नागरकल को कानूनी सेवा प्राधकलरण अधनलयम के तहत वभलनलन प्रावघानों और वलदरलओं के अधकलरों से अवगत कराने हेतु](#) मनायल जलतल है । इस दनल प्रत्यूक कानूनी कषेत्राधकलर में सहायता शवलरल, लोक अदालत एवं कानूनी सहायता कर्यकरम आयोजतल कयल जलते हैं ।

■ संबैघानकल प्रावघान:

- अनुचछेद 39A कहतल है, राज्य यह सुनशलचतल करेगल कवलधकल तंत्र इस प्रकार कलम करे जसलसे समान अवसर के आघार पर न्याय सुलभ हो और वशलषलततयल यह सुनशलचतल करने के ललल कल आरुथकल यल कसल अन्यू नरलयोग्यता के कारण कोई नागरकल न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचतल न रह जलए, नःशुल्क वधकल सहायता की व्यवसुथल करेगल ।
- अनुचछेद 14 और 22(1) भी राज्य के ललल कानून के समकष समानता और सभी के ललल समान अवसर के आघार पर न्याय को बढवल देने वलली कानूनी व्यवसुथल सुनशलचतल करना अनवलर्य बनाते हैं ।

कानूनी सेवा प्राधकलरणों के उददेश्य:

- मुफत कानूनी सहायता और सललह प्रदान करना ।
- कानूनी जागरूकता कल प्रसार ।
- [लोक अदालतों](#) कल आयोजन करना ।
- [वैकल्पकल ववलद समाघान](#) (Alternative Dispute Resolution- ADR) तंत्र के माधुयम से ववलदों के नपलटारे को बढवल देना । वभलनलन प्रकार के ADR तंत्र हैं- मधुयसुथता, सुलह, न्यायकल समझौता जसलमें लोक अदालत के माधुयम से नपलटान यल मधुयसुथता शलमलल है ।
- अपराध पीडतलओं को मुआवज़ल प्रदान करना ।

नशुल्क कानूनी सेवाएँ प्रदान करने के लिये कानूनी सेवा संस्थान:

■ राष्ट्रीय स्तर:

- **राष्ट्रीय वधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA):** इसका गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत किया गया था। भारत का मुख्य न्यायाधीश इसका मुख्य संरक्षक है।

■ राज्य स्तर:

- **राज्य वधिक सेवा प्राधिकरण:** इसकी अध्यक्षता राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है, जो इसका मुख्य संरक्षक है।

■ ज़िला स्तर:

- **ज़िला वधिक सेवा प्राधिकरण:** ज़िले का ज़िला न्यायाधीश इसका पदेन अध्यक्ष होता है।

■ तालुका/उप-मंडल स्तर:

- **तालुका/उप-मंडल वधिक सेवा समिति:** इसकी अध्यक्षता एक वरिष्ठ सविलि जज करता है।

- **उच्च न्यायालय:** उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति
- **सर्वोच्च न्यायालय:** सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति

नशुल्क कानूनी सेवाएँ प्राप्त करने के लिये पात्र व्यक्ति:

- महिलाएँ और बच्चे
- अनुसूचति जाति/अनुसूचति जनजात के सदस्य
- औद्योगिक कामगार
- सामूहिक आपदा, हिसा, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक आपदा के शिकार।
- दवियांग व्यक्ति
- हरिसत में उपस्थति व्यक्ति वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय संबंधति राज्य सरकार द्वारा निर्धारति राशि से कम है, अगर मामला सर्वोच्च न्यायालय से पहले किसी अन्य अदालत के समक्ष है और यदि मामला 5 लाख रुपए से कम का है तो वह सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जाएगा।
- मानव तस्करी के शिकार या बेगार में संलग्न लोग।

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/free-legal-aid-1>

